राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक 12/दौसा/ 2014–2015

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय ज्योति गौतम शिव शिक्षा समिति, गढ़मोली तहसील महवा जिला दौसा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज दिनांक 21 माह मई सन् 2014 को दौसा में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
दौसा

रजिस्ट्रार संस्थाएं

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Statistics
Directorate of Economics & Statistics
Rajasthan, Jaipur

BUSINESS REGISTRATION NUMBER (BRN)

Name of Firm / Establishment / Enterprise :	SHRI VIJAY JOTI GOTAM SIV SHISKA SAMITI DAUSA
Full Address :	12 GAHNOLI GAHNOLI Gehnauli Mehwa DAUSA 321608
Major Activity :	Higher education (853)
Registration in Act :	Societies Registration Act
Applicant Name :	Babu Lal Goutam

Reg. Date : 05 Jul 2019

BRN : 078239000000008

Software Courtesy : National Informatic Centre(NIC)
Maintained by : Additional District Business Registrar, DAUSA

BRN can be tracked on - br.raj.nic.in

This is computer generated CARD and does not require a signature

Printed on : 03-May-2022

'Mere Business Ki Pehchan, Mera BRN'

श्री विजय ज्योति गौतम शिव शिक्षा समिति,गहनौली
तह. महवा जिला दौसा (राजस्थान)

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

विधान कमांक 11 मे संशोधन

पूर्व में विधान	संशोधन विधान
कार्यकारिणी :-संस्था की कार्यकारिणी निम्न प्रकार थी :- 1. अध्यक्ष-1 2. मंत्री -1 3. कोषाध्यक्ष -1 4. सदस्य 06 कुल 09 सदस्यी कार्यकारिणी है।	कार्यकारिणी :-संस्था की कार्यकारिणी निम्न प्रकार रहेगी :- 1. अध्यक्ष-1 2. मंत्री -1 3. कोषाध्यक्ष-1 4. सदस्य-12 कुल 15 सदस्यी कार्यकारिणी होगी।

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

विधान कमांक 3 में संशोधन

पूर्व में विधान	संशोधन विधान
संस्था के उदेश्य :- संस्था के उदेश्य 1 से 06 यथावत है।	संस्था के उदेश्य 1 से 06 तक यथावत रखे गये बढ़ाये गये उदेश्य निम्नानुसार है :- 6. वृक्षारोपण करवाना, जन कल्याण, वन एवं पर्यावरण को बचाने तथा प्रदुषण के खिलाफ अनुसंधान तथा जागृति पैदा करना एवं वानिकी विकास कार्यकमों में सहयोग करना। 7. ग्रामीण विकास योजना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम एवं महिला विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना। 8. कम्प्यूटर विज्ञान, मूर्तिकला, हस्तकलां,पैन्टिंग, संगीत चित्रकलां नृत्य, गृहसज्जा, फैशन तकनिकी की शिक्षा एवं उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न केन्द्रों की व्यवस्था करना 9. जल ग्रहण एवं जल स्वच्छता कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना एवं उनमें संस्था की भागीदारी सुनिश्चित करना। 10. ग्रामीण एवं शहरी तथा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के कार्य आयोजित करने में सहयोग करना। 11. विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, मूक बधिर प्रशिक्षण एवं अध्ययन केन्द्र, बालिका महाविद्यालयों की नियमानुसार मान्यता प्राप्त कर संचालन करना।

127 126 30/7/2019

अध्यक्ष
अध्यक्ष
श्री विजय ज्योति गौतम
शिव शिक्षा समिति, दौसा (राज0)

Jyoti
मंत्री

रजिस्ट्रार संस्थाएं
दौसा

कोषाध्यक्ष
श्री विजय ज्योति गौतम
शिव शिक्षा समिति, दौसा (राज0)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत

रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

विक्रेता :

राज पंचायत प्रकाशन

धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर-3

फोन : 2312402

राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

संघ-विधान पत्र तथा विधान (नियमावली)

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र अथवा संस्था के प्रबन्धन के स्वरूप के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन तभी मान्य होगा, जबकि वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं, किन्तु प्रबन्धकारिणी में न्यूनतम 3 पदाधिकारी होना आवश्यक है।
3. संस्था के उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप **ही होने** आवश्यक हैं। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 5 पर सभी आवेदक सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
9. **धारा-20 : सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्टी की जा सकेगी अर्थात्:-

   पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष अथवा किन्हीं तीन पदाधिकारियों चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जावे, के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ-पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावें। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में जिले के रजिस्ट्रार संस्थाएँ को व्यक्तिगत रूप से अथवा उनके कार्यालय में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
16. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
17. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट होने आवश्यक हैं।
19. अन्य संस्थाये जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाता है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. रजिस्ट्रेशन फीस संबंधी अधिसूचनाएं पृष्ठ 24 पर देखें।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार संस्थायें,

दौसा

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है ज्योति गौतम शिव शिक्षा समिति गढ़नौली

के नाम से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

भवदीय

S. Gautam

(अध्यक्ष/मंत्री)

संलग्न : संघ विधान-पत्र
तथा विधान (नियमावली)

[illegible] ज्योति गौतम शिक्षा [illegible] समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था गढ़ौली

संघ विधान पत्र

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम [illegible] ज्योति गौतम शिक्षा संस्था समिति गढ़ौली त. महवा, जि. दौसा समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ग्राम- गढ़ौली, पो. गढ़ौली, त. महवा, जि.- दौसा है
तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला दौसा क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1 शिक्षा का प्रचार एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक (शिक्षा) हेतु मान्यता लेकर नियमों के अन्तर्गत चलाना,
2 यह समिति तकनीकी शिक्षा खोलेगी व शिक्षा का प्रचार प्रसार करायेगी।
3 यह समिति शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करायेगी।
4 यह समिति सभी जाति धर्म के छात्र - छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करायेगी,
5 यह समिति पर्यावरण के वृक्ष रोपण लगवाना व उनकी देखभाल करना।
6 यह समिति [illegible] गरीब एवं दीन हीन के लिए शिक्षा ग्रहण करवाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

S. gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

Maya
कोषाध्यक्ष

7 ....
8 ....
9 ....
10 ....
11 ....
12 ....
13 ....
14 ....
15 ....

S. gautam

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

S. gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

Maya
कोषाध्यक्ष

4 संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible] जि० - दौसा	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible] कार्य B.ed	ग्राम+पोस्ट [illegible] त० महवा, जि० - दौसा	[illegible]
3.	ज्योति गौतम w/o श्री विष्णु कुमार शर्मा	अध्यापन कार्य	ग्राम+पोस्ट- [illegible] वार्ड नं० 25 त० - दौसा, जि० - दौसा	[illegible]
4.	[illegible] s/o श्री रामविलास जाटव	[illegible] कार्य Bed.	[illegible] त० - महवा (दौसा)	[illegible]
5.	मुकेश कुमार [illegible] s/o श्री बंशीधर [illegible]	अध्यापन कार्य Bed.	ग्राम+पोस्ट- [illegible] मोहल्ला, दौसा जि० - दौसा (राज०)	सदस्य
6.	[illegible] सिंह [illegible]	B.E	ग्राम + पो० [illegible] [illegible] दौसा	सदस्य
7.	विष्णु शर्मा s/o श्री केशव देव शर्मा	[illegible]	ग्राम+पो० 107 [illegible] मोहल्ला [illegible] त० - महवा जि० - दौसा	सदस्य
8.				
9.				

S.gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मंत्री

Maya
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.				
11.				
12.		S.gautam		
13.				
14.				
15.				

चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
महवा (दौसा)

S.gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मंत्री

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
महवा (दौसा)

Maya
कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	[illegible]	अध्यापन कार्य [illegible]	[illegible] गढ़ौली [illegible] महवा जि० दौसा	S. gautam
2	[illegible] S/o [illegible]	अध्यापन कार्य Bed.	ग्राम+पो० [illegible] त० महवा, जि० दौसा	Jyoti
3	[illegible] W/o [illegible] कुमार शर्मा	अध्यापन कार्य	ग्राम+पो० [illegible] समीप ट्यूबवैल के पास [illegible]	Maya
4	सुभाष गौतम S/o श्री मुरारी लाल गौतम	अध्यापन कार्य डिप्लोमा	ग्राम+पो० श्रीमहावीर [illegible] के पास गढ़ौली त० महवा जि० - दौसा	सुभाष
5	विकास गौतम S/o श्री दुर्गाप्रसाद गौतम	अध्यापन कार्य ITI	ग्राम+पो० [illegible] गढ़ौली त० महवा जि० दौसा	विकास
6	[illegible] कुमार मीना S/o श्री [illegible]लाल मीना	अध्यापन कार्य ITI	ग्राम+पो० [illegible] त० [illegible] जि० दौसा	[illegible]
7	विष्णु शर्मा S/o " केशवदेव शर्मा	व्यवसाय खेती	ग्राम+पोस्ट 107 [illegible] मोहल्ला गढ़ौली त० महवा जि० दौसा	vis
8	[illegible] सहाय सैनी S/o " [illegible] सैनी	अध्यापन कार्य ITI	ग्राम+पो० 116 [illegible] मुख्य रास्ता गढ़ौली त० महवा जि० दौसा	[illegible]
9	पवन कुमार [illegible] S/o " [illegible]	अध्यापन कार्य Bed	ग्राम+पो० [illegible] त० महवा (दौसा)	पवन कुमार

S. gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

Maya
कोषाध्यक्ष

क्र सं	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10	[illegible] S/o श्री [illegible]	B.E	[illegible] जि० दौसा	[illegible]
11	[illegible] कुमार [illegible] S/o श्री [illegible]	अध्यापन कार्य Bed.	[illegible] मोहल्ला [illegible] त० दौसा जि० दौसा (राज०)	[illegible]
12	काडूराम S/o [illegible]	कृषि	ग्राम+पो० [illegible] त० सिकराय जि० दौसा	काडूराम [illegible]
13	संजय कुमार मीना S/o श्री [illegible] मीना	अध्यापन	ग्राम+पो० [illegible] त० [illegible]	Sanjay
14	राकेश मीना S/o " [illegible] मीना	अध्यापन कार्य	ग्राम+पो० [illegible] त० महवा (दौसा)	राकेश मीना
15	[illegible] देवी W/o " [illegible]	घरेलू	ग्राम+पो० [illegible] त० महवा (दौसा)	[illegible]
16.				
17.				
18.				

S. gautam

S. gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मंत्री

Maya
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19				
20				
21				
22.				
23				
24				
25				
26.				
27				

S.gautam

S.gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

May
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28				
29				
30				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

S.gautam

S.gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

May
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37				
38				
39				
40				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

इकबाल खान S/o श्री [illegible]
ग्राम+पो० -105 कुम्हार मौहल्ला,
हाजिलपुर तह० - महवा, जि० - दौसा
व्यवसाय - अध्यापन कार्य ITI

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर रमेश सैनी

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

रमेश सैनी S/o श्री राजन्तलाल सैनी
मकान - 383 गहनौली तह० - महवा
जि० - दौसा (राज०)
व्यवसाय - व्यापारी

चिकित्सा अधिकारी / राजकीय आयुर्वेद औषधालय (दौसा)

... नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम [illegible] समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] ग्रा० [illegible], जिला - दौसा है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला - दौसा क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. शिक्षा का प्रचार एवं उच्च प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा हेतु मान्यता लेकर नियमों के अन्तर्गत चलाना
2. यह समिति तकनीकी शिक्षा [illegible] का प्रचार प्रसार करायेगी।
3. यह समिति [illegible] शिक्षा उपलब्ध करायेगी।
4. यह समिति सभी जाति धर्म के [illegible] छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करायेगी।
5. यह समिति पर्यावरण के वृक्षारोपण लगाना व उनकी देखभाल करना।
6. यह समिति असहाय गरीब एवं दीन हीन के लिये शिक्षा सहज कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Maya

7 ....

8 ....

9 ....

10 ....

11 ....

12 ....

13 ....

14 ....

15 ....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

S.gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

Maya
कोषाध्यक्ष

---

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

~~1-संरक्षक~~

~~2-विशिष्ट~~

~~3-सम्मानीय~~

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

~~1-संरक्षक~~	राशि..........	वार्षिक/आजन्म
~~2-विशिष्ट~~	राशि..........	वार्षिक/आजन्म
~~3-सम्मानीय~~	राशि..........	वार्षिक
4-साधारण	राशि ८००/-	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. आठ सौ रुपये प्रत्येक सदस्य की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी। (एक मुश्त राशि ली गई)

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

S.gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मन्त्री

Maya
कोषाध्यक्ष

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8 साधारण सभा :- संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9 साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :- साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :-

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

S.gautam — अध्यक्ष   Jyoti — मन्त्री   Maya — कोषाध्यक्ष

11. कार्यकारिणी का गठन :- संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. अध्यक्ष-एक   2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक   4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-चार (चार)

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तित किये जायें तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ....03 (तीन)... पदाधिकारी व ...04 (चार)... सदस्य कुल ...07 सात... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

S.gautam — अध्यक्ष   Jyoti — मन्त्री   Maya — कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें :-

1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिस्थिति से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे

1- अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5- कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जाय

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी अग्रिम की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे

1. अध्यक्ष ₹
2. मंत्री ₹
3. कोषाध्यक्ष ₹

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थायें को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएँ को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएं, दौसा को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) - श्री विजय ज्योति गौतम [illegible] शिक्षा समिति (ग्रा. महवा, जि. दौसा) समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

S.gautam अध्यक्ष | Jyoti मंत्री | Moyie कोषाध्यक्ष

S.gautam अध्यक्ष | Jyoti मंत्री | Moyie कोषाध्यक्ष

शपथ पत्र का प्रपत्र

फोटो

पुत्र ......
निवासी ......
अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष | प्रस्तावित संस्था ...... का सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि

हमारी प्रस्तावित संस्था ...... के पंजीयन हेतु कुल ...... आवेदक सदस्य हैं।

1. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चस्पाकर प्रमाणित करवायी जावे।

S.gautam अध्यक्ष | Jyoti मंत्री | Moyie कोषाध्यक्ष

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी संस्था ....
.... के सशपथ घोषणा करते हैं कि

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. .... दिनांक .... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य .... हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक .... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक .... को हुआ। निर्वाचित कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं सस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक .... की सूचना का नोटिस दिनांक .... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- निर्वाचित प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले पत्रादि के साथ संस्था के तीन अधिकृत पदाधिकारीयों द्वारा शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किया जावे। तीन पदाधिकारियों के फोटो संलग्न करना है।

S. gautam
अध्यक्ष

Jyoti
मंत्री

Maya
कोषाध्यक्ष

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 12/DAUSA/2014-15

दिनांक / DATE- 13-03-2023

SHRI VIJAY JYOTI GAUTAM SHIV SHIKSHA SAMITI GAHNOLI जिला दौसा राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SHRI VIJAY JYOTI GAUTAM SHIV SHIKSHA SAMITI GAHNOLI DISTRICT **Dausa** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Dharmendra Kumar Meena	MALE	Director Member		10/07/1969
2		Dileep Kumar Bansal	MALE	Director Member		11/12/1993
3		Jagdish Prasad Sharma	MALE	CHAIRMAN		08/07/1957
4		Jyoti Bala Gauttam	FEMALE	TREASURER		29/06/1984
5		Kamlesh Mathur	FEMALE	Director Member		23/09/1951

Signature valid

Digitally signed by Sunil Kumar Gupta
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.03.13 15:31:20 IST
Reason: Approved
Location: Dausa

Sl. No	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Kanhaiya Lal Lath	MALE	Director Member		18/06/1985
7		Krishan Kumar Sharma	MALE	Director Member		15/09/1987
8		Nirmala Devi	FEMALE	Director Member		17/07/1979
9		Rakesh Gautam	MALE	Director Member		27/11/1983
10		Rashmi Bairwa	FEMALE	Director Member		04/05/1989
11	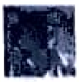	Santosh Kumar Sharma	MALE	Director Member		12/09/1982
12	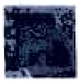	Shiv Charan Lal Sharma	MALE	Director Member		23/01/1953
13		Shiv Charan Sharma	MALE	SECRETARY		15/07/1983
14		Shiv Kanwar	FEMALE	Director Member		06/03/1978
15		Sushil Kumar Sharma	MALE	Director Member		10/06/1960

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

Digitally signed by S[illegible] Kumar Gupta
Designation: REGISTRAR
Date: 2023.0[illegible] 31:20 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Dausa